POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.04.2025

1.थाना सेक्टर-113 पुलिस व सर्विलांस सैल नोएडा द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना से संबंधित 6 लाख रूपये नगद, दो लैपटॉप, दो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त दो वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.04.2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस व सर्विलांस सैल नोएडा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से मु0अ0सं0 184/2025 धारा 310(2)/317(3)/127(2)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1.कोमल सिंह यादव पुत्र हरिनन्दन 2.आरूष त्रिपाठी पुत्र राम प्यारे तिवारी को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तो की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल लूट के 6 लाख रूपये नगद, दो लैपटॉप, दो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त दो वाहन (1.महिन्द्रा एक्सयूवी 700 रजि नं0 यूपी 78 जे.ए 8232 2.महिन्द्रा स्कार्पियों रजि नं0 यूके 07 डी.डब्लू 7889) बरामद हुई है।

घटनाक्रम का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त कोमल सिंह यादव व आरूष त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि हमारे साथी दीपांशु व शोभित ने हमे बताया था कि अश्विन और रजत के पास नोएडा फ्लैट पर बहुत पैसा कैश में है, उसे अगर धमकाया जाये और उसे पुलिस का नाम लेकर डराया जाये तो काफी पैसा मिल जायेगा। दीपांशु व शोभित तथा हम दोनो ने अपने अन्य साथी गौरव एंव उत्कर्ष के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 18/19.04.25 की रात्रि में घटना कारित की गयी थी।

अपराध करने का तरीका-- योजना के अनुसार दिपांशु और शोभित महिन्द्रा एक्सयूवी 700 रजि नं0 यूपी 78 जे.ए 8232 से पहले अश्विन व रजत के फ्लैट सेक्टर-76 नोएडा पर आये और उन्हे शराब पीने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही वे थोड़ा आगे आये तो कोमल सिंह और आरूष ने स्कोर्पियो गाड़ी रजि नं0 यूके 07 डी.डब्लू 7889 तथा इनके अन्य साथी उत्कर्ष और गौरव ने क्रेटा गाड़ी से एक्सयूवी गाड़ी को आगे-पीछे से लगाकर बीच में घेर लिया और स्वयं को पुलिसवाला बताते हुये रजत और अश्विन को एक्सयूवी से उतारकर योजना के तहत अश्विन को क्रेटा कार में और रजत को अपने साथ स्कोर्पियो में बैठा लिया। अभियुक्तों द्वारा इनके साथ मारपीट कर हथियारो के बल पर इनसे पैसे मांगे तो अश्विन ने बताया कि फ्लैट की तरफ चलो जिसपर उत्कर्ष ने रजत को हथियार लगाकर अश्विन से कहा कि ऊपर फ्लैट में रखे पैसे लेकर नहीं आये तो रजत को गोली मार देंगे। दीपांशु को अश्विन

के साथ भेजकर फ्लैट में रखे 7.5 लाख रूपये मंगवाकर ले लिये जिसके बाद इन्होने अश्विन व रजत के खाते से अपने व अपने अन्य साथियों के बैंक खातो में 11 लाख 20 हजार रूपये ट्रांसफर करायें और इनसे 03 लैपटॉप व दोनो के चारो मोबाइल फोन तथा रजत की चैन व अंगुठी और पर्स आदि लूट लिये थे और इन्हे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद लूटे हुये माल में से आपसी सहमति से नगद पैसो से कोलम व आरूष हिस्से में आये 3 लाख-3 लाख रूपये, 01-01 लैपटॉप और 01-01 लूटा हुया आईफोन ले लिया था बाकी लोग बचा हुआ सामान लेकर दोनो गाड़ी क्रेटा और एक्सयूवी से चले गये। अभियुक्तों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तारअभियुक्तों का विवरण--

1. कोमल सिंह यादव पुत्र हरिनन्दन निवासी गुजेनी, थाना गोविंदनगर, कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष (उत्तर प्रदेश पुलिस, वर्तमान तैनाती प्रयागराज पुलिस लाईन्स गैरहाजिर करीब एक वर्ष से)
2. आरूष त्रिपाठी पुत्र राम प्यारे तिवारी निवासी थाना गुजेनी, जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 184/2025 धारा 310(2)/317(3)/127(2)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस थाना सेक्टर-113, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 06 लाख रूपये नगद
2. 02 लैपटॉप
3. 02 मोबाइल (आई-फोन)
4. घटना में प्रयुक्त 02 वाहन (1.महिन्द्रा एक्सयूवी 700 रजि नं0 यूपी 78 जे.ए 8232 2.महिन्द्रा स्कार्पियों रजि नं0 यूके 07 डी.डब्लू 7889)

2.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा भैंस चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी एक भैंस, घटना में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो व 11,000 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.04.2025 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान भैंस चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 02 अभियुक्त 1-अनवर पुत्र कल्लू 2-इस्लामुद्दीन पुत्र बाबू को थाना क्षेत्र के बहलोलपुर अंडरपास के पास से

गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक भैंस, घटना में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो तथा 11,000 रूपये नगद बरामद किये गये है।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 20.04.2025 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 नोएडा पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की 03 भैंसो को पिकअप बुलेरो में चोरी कर लिया है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-63 नोएडा पर मु0अ0सं0 181/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्तगण दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा सहित समस्त एनसीआर क्षेत्र में दिन में रैकी करके रात में भैंस चोरी की घटनाएं कारित करते थे तथा अलग-अलग स्थानो पर जाकर अपनी मजबूरी बताकर चोरी की भैंस को सस्ते दामों में बेच देते थे। अभियुक्त इस्लामूददीन पर करीब डेढ़ दर्जन अभियोग भिन्न-भिन्न धाराओ में अलग-अलग जनपदो में पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने बहलोलपुर से फरवरी व मार्च के महीने में प्लॉट/घेर से भैंसे चोरी की थी तथा माह फरवरी के अंत मे होशियारपुर से 04 भैंसे व 01 कटरा प्लॉट/घेर से चोरी किया था। बरामद भैंस को बहलोलपुर पुस्ता रोड से चोरी किया गया था। यह लोग अपनी गाडी में एक भैंस इसलिए रखते थे कि रास्ते मे यदि कही पुलिस चेक करे तो शक ना हो और अपनी भैंस को दिल्ली गाजीपुर की मण्डी में बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तारअभियुक्तों का विवरण--

1. अनवर पुत्र कल्लू निवासी ग्राम हाथीपुर थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर (उम्र 30 वर्ष)
2. इस्लामुद्दीन पुत्र बाबू निवासी ग्राम मढियायी थाना सरधना जिला मेरठ (उम्र करीब 55 वर्ष)

वांछित अभियुक्तों का विवरण--

1. आसिफ पुत्र बाबू निवासी मेरठ।
2. असगर पुत्र कलुआ निवासी मेरठ।
3. युसूफ पुत्र समीर निवासी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त अनवर--

1. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा।

2. मु0अ0सं0 66/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49, नोएडा।

B.अभियुक्त इस्लामुद्दीन--

1. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 66/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 72/2018 धारा 379 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 101/2018 धारा 379 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 3656/2018 धारा 342/392 भादवि थाना साहिबाद गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 401/2018 धारा 120बी/342/395/412 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 760/2018 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 1162/2019 धारा 174ए भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0 2098/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
10. मु0अ0सं0 76/2023 धारा 380 भादवि थाना बुढाना मु0नगर।
11. मु0अ0सं0 127/2023 धारा 307/399/402 भादवि व 3/4/25/27 थाना बुढाना मु0नगर।
12. मु0अ0सं0 192/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बुढाना मु0नगर।
13. मु0अ0सं0 190/2018 धारा 379 भादवि थाना बिसरख नोएडा।
14. मु0अ0सं0 1279/2018 धारा 147/148/149/186/224/225/307/323/332/336/353 भादवि थाना सरधना मेरठ।
15. मु0अ0सं0 239/2016 धारा 395/397/412 भादवि थाना छजलैट मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो रजि0 न0 यूपी 15 एचटी 4350
2. एक भैंस
3. 11,000 रुपये नगद